# न्यायालय सहायक कलक्टर द्वितीय, सीकर

पीठासीन अधिकारी– श्री राजपाल यादव (आर.ए.एस)

प्रा.प. संख्या 26/2009

1. भंवर सिंह
2. दीप सिंह
3. बजरंग सिंह
4. पेप सिंह

समस्त पुत्रगण मंगेज सिंह जाति राजपूत निवासीगण ग्राम गणेशपुरा तहसील व जिला सीकर

– प्रार्थीगण –

## बनाम

1. चैनसिंह
2. केशरसिंह
3. भूरसिंह फौत

3/1. सायर कंवर बेवा भूर सिंह

4. पेपसिंह
5. ग्यान सिंह
6. गोपाल सिंह
7. दीप सिंह
8. श्रवण सिंह समस्त पुत्रगण गाड़ सिंह जाति राजपूत निवासीगण ग्राम गणेशपुरा तहसील जिला सीकर
9. शेखावाटी ग्रामीण बैक शाखा सिंगरावट तहसील व जिला सीकर जरिये प्रबंधक
10. भूमिधारी तहसीलदार सीकर

– अप्रार्थीगण –

**अस्थाई निषेधाज्ञा प्रसारणार्थ**

उपस्थित वकील प्रार्थीगण – श्री कैलाश स्वामी

वकील अप्रार्थीगण – श्री राधेश्याम बिंयाला

## निर्णय

दिनांक – 14 NOV. 2019

वकील प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट का मय वाद के प्रस्तुत किया । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण की

सहायक कलेक्टर (द्वितीय) सीकर

पुश्तैनी कृषि भूमि ग्राम गणेशपुरा में अवस्थित है। माधो सिंह के चार पुत्र हुऐ जिसमें से गाड़ सिंह, भीख सिंह उर्फ भीवंसिंह के गोद चला गया था तथा धूकल सिंह व शार्दूल सिंह नाऔलाद फौत हो गये । इस प्रकार स्व0 माधोसिंह का एक मात्र वारिस मंगेज सिंह हुआ जिसके वारिसान वादीगण/प्रार्थीगण है तथा गाड़सिंह भींखसिंह का वारिस हुआ। पुराने खसरा नम्बर 28 रकबा 11 बीघा 19 बिस्वा तथा 31 रकबा 19 बीघा 10 बिस्वा भींवसिंह की खातेदारी की थी जो गाड़सिंह को उसका दत्तक पुत्र होने के कारण प्राप्त हो गई। गाड़सिंह के बाद उक्त कृषि भूमियां जिनके वर्तमान ख.नं. 44, 46, व 49 है, की खातेदारी अप्रार्थी संख्या 1 ता 8 के नाम दर्ज हो गयी जिस पर वे काबिज हैं। गाड़सिंह के गोद चले जाने के बाद माधोसिंह की कृषि भूमियों से उसका कोई सम्बंध सरोकार नहीं रह गया है। उसके बावजूद पुराने ख. नं. 27 रकबा 27 बीघा 10 बिस्वा व 108 रकबा 18 बिस्वा ग्राम गणेशपुरा में राजस्व कर्मचारिया से मिलकर माधोसिंह की खातेदारी भूमियों में से 1/2 की खातेदारी अपने नाम दर्ज करवा ली जो गलत है। किसी भी व्यक्ति को दोहरा उत्तराधिकार प्राप्त नहीं हो सकता है। माधो सिंह की उक्त कृषि भूमि ख. नं. 27 व 108 जिसके नये ख. नं. 58 व 215 है पर वादीगण ही काबिज है। इस कारण उक्त भूमियों की खातेदारी अकेले वादीगण के नाम दर्ज किया जाना कानूनन आवश्यक है। अप्रार्थी संख्या 1 ता 8 को पहले खातेदारी दुरूस्त करवाने की कहा तो करवाने को तैयार हो गये बाद में स्पष्ट रूप से मना कर दिया तथा प्रार्थीगण को गलत खातेदारी की आड़ में बेदखल करने पर आमादा हो गये। इसलिए अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञ से पाबन्द किया जाना न्यायहित में है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया जिस पर अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 8 उपस्थित रहे तथा जवाब पेश कर कथन किया कि उक्त भूमियां प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की पैतृक आराजी नहीं है बल्कि अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 8 की पैतृक आराजी है। प्रार्थीगण के पिता मंगेज सिंह के नाम न तो ख. नं. 28 व 31 में खातेदारी अंकित थी ना ही उसका कब्जा काश्त रहा है। उक्त भूमियों की खातेदारी अप्रार्थीगण के नाम से सही अंकित है। प्रार्थीगण के पक्ष में कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है ना ही कोई सुविधा का संतुलन उनके पक्ष में है ना ही उन्हे कोई अपूरणीय क्षति कारित हो रही है। अतः आवेदन मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

प्रकरण में बहस हेतु वकील उभयपक्ष ने आवेदन एवं जवाब आवेदन को ही बहस समझी जाने का कथन किया। हमने पत्रावली का एवं उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । अस्थाई निषेधाज्ञा के निस्तारण हेतु तीन बिन्दुओं पर विचारण किया जाना है –

1. **प्रथम दृष्टया मामला** – पत्रावली पर प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार जमाबंदी सम्वत 2063 से 66 में खसरा नम्बर 44,46,49, 58 व 215 किता 5 कुल रकबा 14.99 है0 ग्राम गणेशपुरा की खातेदारी चैनसिंह, भूरसिंह, केशरसिंह, पेपसिंह, ग्यानसिंह,

सहायक कलेक्टर (द्वितीय) सीकर

गोपालसिंह, दीपसिंह, श्रवणसिंह पि0 गाड़सिंह कौम राजपुत सा.देह हि. बराबर के नाम दर्ज है। जमाबंदी सम्वत 2021 से 24 में इनके पुराने खसरा नम्बर 28 व 31 की खातेदारी गाड़सिंह पुत्र भींवसिंह कौम राजपुत सा. देह केनाम पर दर्ज है। प्रार्थीगण का कथन है कि अप्रार्थी संख्या 1 ता 8 का पिता गाड़ सिंह, भीखसिंह के गोद चला गया तथा भीखसिंह की उपर्युक्त वर्णित आराजीयात गाड़ सिंह को जरिये विरासत प्राप्त हो चुकी है । प्रार्थीगण का कथन है कि पुराने ख. नं 27 व 108 में 1/2 हिस्से की खातेदारी गलतरूप से अप्रार्थीगण के पिता गाड़सिंह ने अपने नाम दर्ज करवा ली। जबकि गाड़सिंह के गोद चले जाने के कारण अपने जायन्दा पिता माधोसिंह की भूमियों में ऐसा करने का कानूनी अधिकार नहीं था। पत्रावली में संलग्न जमाबंदी सम्वत 2021–24 के अनुसार पुराने ख0 नं0 27 व 108 की खातेदारी गाड़सिंह, शार्दुलसिंह पिता माधोसिंह कौम राजपूत सा. देह ब.हि. बराबर के नाम पर दर्ज है लेकिन पत्रावली में इससे पूर्व की जमाबंदी संलग्न नहीं है । इससे यह निर्विवाद रूप से प्रमाणित नहीं है कि उक्त ख. नं. की 1/2 हिस्से की खातेदारी गाड़ सिंह को जरिये विरासत प्राप्त हुई है और यदि जरिये विरासत प्राप्त हुई है तो उक्त विरासत का नामान्तरकरण गाड़सिंह के गोद चले जाने के बाद का है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया मामला प्रमाणित नहीं है।

22. **सुविधा का संतुलन** – प्रार्थीगण विवादित भूमियों पर अपना हक अधिकार जताने का आधार प्रमाणित नहीं कर पाये है। अतः सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में प्रमाणित नहीं है।

3. **अपूरणिय क्षति** – उपर्युक्त दोनों बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में प्रमाणित नहीं है तो प्रार्थीगण को अपरूरणीय क्षति नहीं हो सकती है।

**आज्ञा**

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर तीनों बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में प्रमाणित नहीं होने के कारण प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्त. अधि. का बाबत भूमि खसरा 44,46,49, 58 व 215 किता 5 कुल रकबा 14.99 है0 ग्राम गणेशपुरा तहसील धोद जिला सीकर खारिज किया जाता है।

(राजपाल यादव)
सहायक कलक्टर द्वितीय सीकर
सहायक कलेक्टर (द्वितीय) सीकर

निर्णय आज दिनांक 14/11/19 को खुले न्यायालय में मेरे हस्ताक्षर से सुनाया गया।

(राजपाल यादव)
सहायक कलक्टर द्वितीय सीकर
सहायक कलेक्टर (द्वितीय) सीकर